



## इंटीग्रिटी पैक्ट

### प्रलिस के लयः

केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार नरिधक अधनियम, 1988

### मेन्स के लयः

सरकारी संगठनों में पारदर्शता एवं जबावदेहता सुनश्चिति करने में संदर्भ में संशोधन का महत्त्व

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) ने सरकारी संगठनों में खरीद गतविधियों के लयि 'इंटीग्रिटी पैक्ट/समझौता' (Integrity Pact) अपनाने के लयि मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) में संशोधन कया है।

## प्रमुख बडुः

- नवीनतम आदेश जनवरी 2017 में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया को संशोधित करता है।
- CVC द्वारा एक संगठन में इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनीटर्स (Integrity External Monitors- IEMs) के कार्यकाल को अधिकतम तीन वर्ष तक के लयि सीमति कया गया है।

## इंटीग्रिटी पैक्टः

- इंटीग्रिटी पैक्ट एक प्रकार का सतर्कता उपकरण है, यह भावी वकिरेताओं/ बोलीदाताओं एवं खरीदार के मध्य एक समझौते की परकिल्पना प्रस्तुत करता है जो अनुबंध के कसि भी पहलू पर भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग रोकने के लयि दोनों पक्षों को प्रतबिद्ध करता है।
  - यह पैक्ट/समझौता सार्वजनिक खरीद में पारदर्शता, इक्वटी और प्रतसिपर्द्धा को सुनश्चिति करता है।

## इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनीटर्सः

- इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनीटर्स (Integrity External Monitors-IEM) द्वारा स्वतंत्र एवं नषिपक्ष रूप से दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है, साथ ही इस बात का नरिधारण कया जाता है कपार्टियों ने समझौते के तहत अपने दायतियों का पालन सही से कया है या नहीं।
- अगर IEM को भ्रष्टाचार नरिधक अधनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत गंभीर अनयमितितारुँ देखने को मलित्ती है, तो वे संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance Officer- CVO) और CVC को इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

## IEM की प्राथमकित्ताः

- संशोधित प्रावधानः संशोधित प्रावधान के तहत IEM का वकिल्प सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरुमों (Public Sector Undertakings- PSU) के अधिकारियों तक ही सीमति होगा जो सचवि स्तर से केंद्र सरकार के पदों से सेवानवृत्त हुए हैं या जनिका वेतनमान समान हैं।
  - PSUs के अध्यक्ष और प्रबंध नदिशक (Chairman and Managing Directors (CMDs) पद के लयि सेवानवृत्त अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनयियों और वत्ततीय संस्थानों में अनुसूची 'ए' कंपनयियों तथा प्रबंध नदिशक एवं मुख्य कार्यकारी स्तर के अधिकारी और कम-से-कम अतरिकित सचवि स्तर या इसके समकक्ष अधिकारी नयुक्तिके पात्र होंगे।
  - सशस्त्र बलों के अधिकारी जो जनरल के समकक्ष रैंक से सेवानवृत्त हुए हों, की नयुक्तिके पर भी वचार कया जा सकता है।
  - उन वयक्तियों को वरीयता दी जाएगी जनिहोंने कसि अन्य क्षेत्र में कार्य कया हो या कसि संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance Officer-CVO) के रूप में कार्यरत रहे हों।

- **पूरव प्रावधान:** वर्ष 2017 के आदेश के तहत वे अधिकारी जो केंद्र सरकार के अतरिकित सचवि सूतर पर या इससे ऊपर के सूतर या समकक्ष वेतनमान से सेवानवित्त हुए हों, वे सार्वजनकि उपक्रमों, अनुसूची 'ए' कंपनयिों, पीएसबी, बीमा कंपनयिों और वत्तितय संस्थानों में बोरड सूतर के अधिकारी पद के लयि पात्र थे ।
  - सशसूतर बलों के अधिकारी जो लेफ्टनैट-जनरल और उससे ऊपर के पद से सेवानवित्त हुए हों, उनकी नयुक्तपर भी वचिर कयिा जा सकता थ।

## IEM के रूप में नयुक्तः

- **संशोधति प्रावधान** के तहत IEM के रूप में नयुक्तके लयि संबंधति मंत्रालय, वभिाग या संगठन को CVC के लयि उपयुक्त वयक्तयिों के पैनल को अगरेषति करना होगा ।
- **पूरव प्रावधान:** वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार, CVC द्वारा बनाए गए पैनल में पहले से ही नयुक्त लोग शामिल हो सकते हैं या वे अन्य उचति वयक्तयिों के नामों का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।
- **कार्यकाल:**
  - संशोधति प्रावधान के अनुसार, IEM को कसिी संगठन में **तीन साल** की अवधके लयि नयुक्त कयिा जाएगा ।
  - **पूरव प्रावधान:** वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार IEM का प्रारंभकि कार्यकाल तीन वर्ष के लयि थ। जसिे संबंधति संगठन से CVC द्वारा प्राप्त अनुरोध पर दो वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लयि बढ़ाय। जा सकता थ।

## केंद्रीय सतरकता आयोगः

- CVC एक सर्वोच्च सतरकता संस्थान है, जो कसिी भी कार्यकारी प्राधकिरण से मुक्त है ।
- यह केंद्र सरकार के अधीन सभी सतरकता गतविधियिों की नगिरानी के अलावा केंद्र सरकार के संगठनों में वभिनिन अधकिारयिों को योजना बनाने, क्रयान्वयन, समीक्षा करने और उनके सतरकता कार्यों में सुधार करने से संबंधति सलाह प्रदान करता है ।
  - यह एक **स्वतंत्र नकिय** है जसिकी जबावदेहति केवल संसद के प्रत है ।
- इसकी स्थापना **फरवरी 1964** में **के. संथानम** (K. Santhanam) की अधयक्षता में गठति भ्रष्टाचार नरीधक समति की सफिरशिों के आधार पर की गई थी ।
- संसद द्वारा **केंद्रीय सतरकता आयोग अधनियम, 2003** (CVC Act) को CVC पर वैधानकि स्थति प्रदान करते हुए अधनियमति कयिा गया है ।

## सूतः द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sop-for-adoption-of-integrity-pact-amended-cvc>